न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/101/2025	2025/93	06.03.2025	27.11.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू०अ०) थानागाजी, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्रवण, मेवा, बुद्धी, माना पुत्रियान सूरजा,
2. कालूराम, हरदान, देवकरण पुत्रान सूरजा,
3. मनीषा पुत्री हरफूल,

समस्त कौम गुंर्जर, सा. कोला का बास, तहसील थानागाजी जिला अलवर।

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4)
भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—
01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

—:निर्णय:—

प्रार्थी तहसीलदार थानागजी ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम कोला का बास तहसील थानागाजी, जिला अलवर की आराजी खसरा न0 327 रकबा 0.03 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आवंटी/आवंटी के वारिसान श्रवण, मेवा बुद्धी, माना पुत्रीयान सूरजा, कालूराम, हरदान, देवकरण पुत्रान सूरजा, मनीष पुत्री हरफूल कौम गुर्जर सा. देह आज भी गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं।

उक्त खसरा नंबर में नकल खसरा गिरदावरी संवत 2032 से 2076 तक में कोई फसल दर्ज नहीं है, पड़त भूमि दर्ज है। आवंटी/आवंटी के वारिसान श्रवण, मेवा बुद्धी, माना पुत्रीयान सूरजा, कालूराम, हरदान, देवकरण पुत्रान सूरजा, मनीष पुत्री हरफूल कौम गुर्जर सा. देह आज भी गैर खातेदार का मौके पर आदिनांक तक कब्जा नहीं है ना ही वक्त आवंटन कब्जा था।

आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं किया गया है। अतः श्रीमान उक्त आवंटन निरस्त किये जाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर चिन्तन—मनन किया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। सर्वप्रथम प्रार्थी तहसीलदार थानागाजी ने नियम 14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें अप्रार्थी सूरजा पुत्र नाथू (मृतक) एवं आवंटी/आवंटी के वारिसान श्रवण, मेवा बुद्धी, माना पुत्रीयान सूरजा, कालूराम, हरदान, देवकरण पुत्रान सूरजा, मनीष पुत्री हरफूल कौम गुर्जर को आवंटित आराजी खसरा नंबर 327, रकबा 0.03 हेक्टेयर, ग्राम कोलाकाबास, तहसील थानागाजी, जिला अलवर की भूमि का आवंटन निरस्त करने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थी का मुख्य आधार पटवारी हल्का भूडियावास की जॉच रिपोर्ट दिनांक 20.12.2024 के अनुसार ग्राम कोलाकाबास के आ.ख.नं. 327 रकबा 0.03 है0 किस्म गै.मु. बाड़ा जमाबंदी संवत् 2073—76 के खाता संख्या 128 पर सूरजा पुत्र नाथू जाति गुर्जर हि0 पूर्ण सा. देह गैर—खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

गैर–खातेदार सूरजा पुत्र नाथू को उक्त भूमि सन् 1978 में आवंटित हुई थी, जिसकी नामा0 संख्या 43 दिनांक 12.12.1978 को गैर खातेदार दर्ज हो चुका है। आवंटी वर्तमान में फौत हो चुका है, जिसके वारिसान प्रकरण हाजा में अंकित है। आवंटी को आवंटितशुदा भूमि पर सन् 2032–2076 तक की गिरदावरी में कोई फसल अंकित नहीं है, पड़त भूमि दर्ज है तथा आवंटी एवं बाद आवंटी वारिसान द्वारा आदिनांक तक कृषि कार्य नहीं किया गया है। वर्तमान में कच्चा मकान बनाकर कब्जा किया हुआ है तथा आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई।

पटवारी रिपोर्ट दिनांक 20.12.2024 के अनुसार, आराजी खसरा नंबर 327 किस्म गै.मु. बाडा है, तथा राजस्व रिकॉर्ड में सूरजा पुत्र नाथू के नाम से गैर–खातेदारी दर्ज है। आवंटन सन् 1978 में हुआ था, किंतु आवंटी (जो अब फौत हो चुके है) एवं उनके वारिसानों द्वारा संवत 2032–2076 तक की गिरदावरी में कोई फसल नहीं बोई गई, तथा भूमि पड़त पड़ी हुई है। मौके पर कब्जा–काश्त नहीं पाया गया। पटवारी रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ नहीं किया गया, जो आवंटन के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत यदि आवंटन नियमों व शर्तों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी सूरजा पुत्र नाथू गुर्जर एवं उनके वारिसानों (श्रवण, मेवा बुद्धी, माना पुत्रीयान सूरजा, कालूराम, हरदान, देवकरण पुत्रान सूरजा, मनीष पुत्री हरफूल कौम गुर्जर) को आवंटित आराजी खसरा नंबर 327, रकबा 0.03 हेक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड से गैर–खातेदारी का नाम हटाकर भूमि को राज्य सरकार की संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाए। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)